न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 124/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/342

अपीलार्थी :–
मुथरादेवी पत्नी मदनलाल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का बास, झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.12.2024 जो प्रकरण संख्या 01/2024 में तहसीलदार झंवर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री प्रकाश राणावत व अवतारसिंह गहलोत (अपीलार्थी)।

–: आदेश :– **दिनांक :– 06.03.2025**

1. यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार झंवर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2024 अन्तर्गत धारा 183(ख) राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवान मुथरा देवी बनाम मोडीदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2025 को न्यायालय में अन्दर म्याद पेश की है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 27.02.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 06.03.2025 को आदेश हेतु रखी गई।
3. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार झंवर के समक्ष पेश किया जिसमें अपीलान्ट ने अपने आपको अनुसूचित जाति का सदस्य बताकर अपीलान्ट के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 273 रकबा 4.3301 हैक्टयर ग्राम झंवर पटवार क्षेत्र झंवर में होना बतलाया। [illegible] भूमि की पैमाइश तहसीलदार झंवर के माध्यम से करवाई गई जिस [illegible] हल्का पटवारी ने दिनांक

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

15.07.2024 को मौके पर आकर प्रार्थी की भूमि की पैमाईश व सीमाज्ञान किया तथा फर्द तैयार की जिससे प्रार्थी की भूमि रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर 25 बीघा ही मौके पर पाई गई तथा शेष भूमि खसरा संख्या 273/1 के कब्जे में दबी होने की रिपोर्ट पेश की। जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दावा पेश किया जो दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की तथा दिनांक 23.12.2024 को तहसीलदार लूणी ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर ही दावा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

4. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, बहस के दौरान अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथनों, तर्कों व न्यायिक निर्णय पर गंभीरता से अध्ययन कर उन पर मनन किया। विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया :-

(a) अपीलार्थीया मुथरा देवी ने न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट झंवर जिला जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 183(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 24.07.2024 को पेश किया, जिसे दिनांक 26.7.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा हल्का पटवारी से मौका व रिकॉर्ड की जांच हेतु तहरीर जारी करने का आदेश दिया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.08.2024 दी गई। पत्रावली नियमित रूप से न्यायालय में तारीख पेशी पर चलती रही लेकिन आदेशिका दिनांक 23.12.2024 के अनुसार तहसीलदार झंवर द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण में खातेदारान् व अतिक्रमी समान वर्ग (अनुसूचित जाति) के होने के कारण उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आदेश दिनांक 23.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश की। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने न्यायिक निर्णय RRD 1995 [illegible] NO. 216 Kamla devi @Gomti Devi v. Om Prakash & Ors. 65, Revision No.155/Hanumangarh of 94 decided on 2nd Aug., 1994. पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि " (B) Rajasthan Tenancy Act, Section 183B - The Section is applicable also on Scheduled Cast. (Para 3.)

3. The Second point raised before me is that application u/s 183B was not maintainable because the non-applicant was also a member of the Scheduled Caste. According to the learned advocate, both the parties in the proceedings belong to Scheduled Caste and, therefore, provisions of section 183B were not attarcted. I do not find force in this argument of the learned counsel for the applicant because the bare perusal of Section 183B of the Rajasthan Tenancy Act would show that the word used in the section is trespasser. Trespasser can be any caste, therefore, the provisions of section 183B are applicable even when both the parties belong to scheduled caste."

उपरोक्त न्यायिक निर्णय से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी में अतिचारी शब्द का प्रयुक्त हुआ है जिसका तात्पर्य है कि अतिक्रमण करने वाला कोई भी जाति का हो सकता है, इसलिए धारा 183 बी के प्रावधान तब भी लागू होते हैं जब दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के हो।

(b) तहसीलदार झंवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2024 में मुख्य कथन यही रहा है कि "प्रकरण में प्रार्थी खातेदार व समस्त अप्रार्थीगण/अतिक्रमी/कब्जाधारी खातेदार समान वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग से संबंद्ध होने के कारण उक्त प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(ख) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने तथा न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।" उपरोक्त न्याय निर्णय अनुसार तहसीलदार झंवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2024 विधिसम्मत् नहीं होने के कारण अपास्त योग्य है, जो अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण [illegible] झंवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि [illegible] अप्रार्थी दोनों समान वर्ग (अनुसूचित जाति) से होने पर भी प्रकरण [illegible] काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 16:53:34 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1955 की धारा 183 बी के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है। इस कारण प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

5. निर्णय की प्रति तहसीलदार झंवर को भेजी जावे। पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested